कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 438/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 03.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस–नोट

साइबर सेल आज़मगढ़ — साइबर जागरूकता अभियान

दिनांक : 03.12.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देश तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी साइबर क्राइम के नेतृत्व में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को संचालित किए जाने वाले साइबर जागरूकता अभियान के क्रम में आज स्मार्ट बाज़ार, रैदोपुर (आज़मगढ़) में साइबर सेल द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

➡ इस अभियान में प्रभारी साइबर सेल उपनिरीक्षक सागर कुमार रंगू, मुख्य आरक्षी ओमप्रकाश जायसवाल, आरक्षी राहुल सिंह तथा यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा संयुक्त रूप से जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान जनसाधारण को निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जागरूक किया गया—

➡ साइबर अपराध होने की स्थिति में तत्काल 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करने के महत्व के बारे में बताया गया।

➡ साइबर फ्रॉड रोकथाम में 'गोल्डन आवर' की भूमिका और उसके प्रभाव की जानकारी दी गई।

➡ OTP फ्रॉड, बैंकिंग धोखाधड़ी, ऑनलाइन खरीद-फरोख्त से संबंधित ठगी, KYC अपडेट फ्रॉड आदि से बचाव के उपाय विस्तारपूर्वक बताए गए।

➡ सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने, मजबूत पासवर्ड, टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सोशल मीडिया गोपनीयता सेटिंग्स तथा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा रखने के तरीकों पर विस्तार से समझाया गया।

अन्य प्रमुख गतिविधियाँ —

➡ उपस्थित नागरिकों को साइबर जागरूकता पम्पलेट वितरित किए गए।

➡ साइबर हेल्पलाइन 1930 एवं पोर्टल www.cybercrime.gov.in के उपयोग हेतु विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रेस नोट

थाना–फूलपुर, जनपद आज़मगढ़

नाजायज तमंचा व कारतूस के साथ 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण:

दिनांक 02.12.2025 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा की गई गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0 567/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजी हसन निवासी मुडियार उम्र 45 वर्ष पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी:

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान अम्बारी चौराहा, नहर पुलिया के पास अभियुक्त लाल मोहम्मद को समय 20:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से—

✔ एक अदद नाजायज तमंचा 315 बोर

✔ एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद

गिरफ्तारी/बरामदगी में सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

पंजीकृत अभियोग:

मु0अ0सं0 567/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर।

आपराधिक इतिहास (06 मुकदमे):

1. 48/2021 – 3/5A/8 गो–वध निवारण अधि0, 3/11 पशु क्रूरता
2. 279/2019 – 307, 336 भादवि सहित गो–वध निवारण
3. 134/2020 – गैंगस्टर एक्ट
4. 01/2021 – 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट
5. 189/2022 – गैंगस्टर एक्ट
6. 567/2025 – 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त:

लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजी हसन निवासी मुडियार, थाना फूलपुर।

बरामदगी:

- एक नाजायज तमंचा 315 बोर
- एक जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी टीम:

1. उ0नि0 रज्जन द्विवेदी
2. हे0का0 दीनबंधु
3. हे0का0 बृजेश कुमार
4. का0 दयाशंकर
5. का0 मुनीब कुमार
6. का0 रजनीश कुमार
7. का0 अरविन्द कुमार थाना फूलपुर आजमगढ़

प्रेस-नोट
थाना–बरदह, जनपद–आज़मगढ़
लाठी-डण्डे से जानलेवा हमला करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार – घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद

पूर्व घटना / इतिहास

दिनांक 01.12.2025 को ग्राम चकचोर्रा निवासी शेखर बिन्द एवं उसके साथी अमरचन्द राजभर पर गाँव के ही विपक्षियों—रवि, विशाल, संदीप व सचिन राजभर—द्वारा लाठी-डण्डों से प्राणघातक हमला किया गया।

➡ इस संबंध में वादी अच्छेलाल बिन्द की तहरीर पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 379/25 धारा 115(2), 109, 110 बीएनएस दर्ज किया गया।

घटना का अनावरण / गिरफ्तारी का विवरण

➡ दिनांक 03.12.2025 को उ0नि0 मनीष सिंह मय टीम मुखबिर सूचना के आधार पर कोदहरा–बर्रा मार्ग पर पहुँचे, जहाँ तीन संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए। उनकी पहचान क्रमशः—1. सचिन राजभर, 2. संदीप राजभर, 3. रवि राजभर के रूप में हुई, जो भागने का प्रयास कर रहे थे। पूछताछ में अभियुक्तगण ने पुरानी रंजिश में किए गए हमले की कबूलियत की।

➡ अभियुक्तों की निशानदेही पर कुर्थुवा नहर के पास से घटना में प्रयुक्त डण्डे भी बरामद किए गए।

बरामदगी विवरण

03 डंडा

गिरफ्तार अभियुक्त

1. सचिन राजभर
2. संदीप राजभर
3. रवि राजभर

(सभी निवासी–ग्राम चकचोर्रा, थाना बरदह)

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 379/25, धारा 115(2), 109, 110 बीएनएस, थाना बरदह।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 मनीष सिंह
2. हे0का0 चन्द्रजीत यादव
3. का0 मो0 आरिफ
4. का0 यशपाल गुप्ता

—थाना बरदह, जनपद आज़मगढ़